मान्नीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 कैम्प कोर्ट रीवा म0प्र0

अधि० श्री राजनीश तिवारी द्वारा पेश 5-1-18

II/निग०/रीवा/2018/231

कलर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

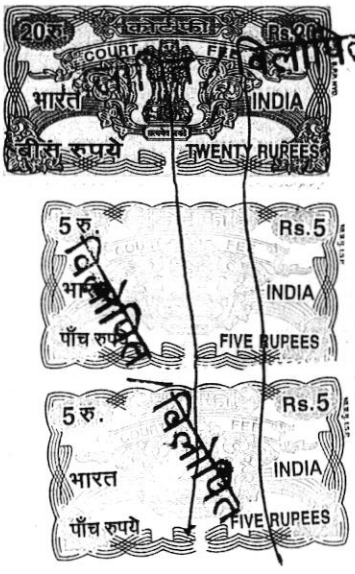

1– मुन्नीलाल पिता रामाधार केवट

2–प्रेमलाल पिता रामाधार केवट

3–रामगणेश पिता रामाधार केवट

4–मुस0 छोरनिया बेबा रामानुज केवट

5–अरूण तनय रामानुज केवट

6– कमलेश तनय रामानुज केवट

7–अखिलेश तनय रामानुज केवट

8– रामदरश पिता सोनई केवट

9–राजेश पिता रामदरस केवट

10–रामजय पिता सोनई केवट

11–रामनिधि पिता गैवी केवट

12– रामकरण पिता गैबी केवट

13– रामरविरोधन पिता भूषण केवट

14– बुद्वसेन पिता भूषण केवट

15– रामलखन पिता भूषण केवट

सभी निवासी ग्राम पांती मिश्ररान थाना व तह0 हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

––– आवेदकगण

<u>बनाम</u>

1–शिवकरण पिता हीरामणि केवट | सा0 पांती मिश्ररान तह0 हनुमना

2–रामकुशल पिता हीरामणि केवट | जिला रीवा म0प्र0

3–सीताशरण पिता हीरामणि केवट

4– गंगोत्री पुत्री रामानुज हाल मुकाम गोइडार तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

5– मंगलावती पति लालबहादुर पुत्री रामानुज सा0 पांती मिश्ररान तह0 हनुमना

6– गुलाबकली पति सुग्रीव केवट सा0 पांती मिश्ररान तह0 हनुमना

7– सीमा पति लालता केवट पुत्री रामानुज सा0 हाटा तह0 हनुमना

8– मीना पति मनीश केवट पुत्री रामानुज सा0हाटा तह0 हनुमना

9– प्रेमवती पति वंशमणि केवट पुत्री रामानुज सा0 अल्हरा खुर्द तह0 हनुमना जिला रीवा म0प्र0

–––– अना0गण

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 30/11/17 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क0

5-1-18

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

135

—

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

तीन / निग. / 18 / 6231 / रीवा

मुन्नीलाल केवट बगैर विरूद्ध शिवकरण केवट

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21–06–2018	आवेदक के अधिवक्ता श्री ओ.पी. मिश्रा उपस्थित हुये। अनावेदक क्र. 2 के अधिवक्ता श्री जयप्रकाश मिश्रा उपस्थित हुये। उन्हें कायमी पर सुना गया । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया । प्रकरण सीमांकन से संबंधित है । तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश को अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा उचित माना है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। 3/ पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। 21/6/18 सदस्य	